

प्रकीर्ण आदेश सं०-.../2018, दिनांक-31.05.2018

न्यायालयों का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु माह जून, 2018 से अगस्त, 2018 तक, अवकाश के दिनों में रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य का निस्तारण किये जाने हेतु नियमित प्रकार से रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को डिप्यूट किया जाता है-

<u>माह</u>	<u>रिमाण्ड ड्यूटी</u>
1. जून, 2018	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
2. जुलाई, 2018	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
3. अगस्त, 2018	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानीखेत/न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिकियासैण, अवकाश के दिनों में उपरोक्त क्षेत्र से सम्बन्धित रिमाण्ड एवं अर्जेंट कार्य करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में बेल रिमाण्ड एवं आवश्यकीय कार्य मुख्यालय पर उपस्थित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट सम्पादित करेंगे।

(मन मोहन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानीखेत/द्वाराहाट/भिकियासैण।
4. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, अल्मोड़ा।
6. बार एसोसिएशन, रानीखेत।
7. बार एसोसिएशन, द्वाराहाट।
8. बार एसोसिएशन, भिकियासैण।
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला जजी अल्मोड़ा।

(मन मोहन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।